बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 267

चेत जाएं सरकारी बैंक

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई वर्ष बाद बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट 'ट्रेंड ऐंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19' यह बताती है कि बैंकों की ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों में कमी आई है और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट भी थमी है। यही कारण है कि वर्ष 2011-12 के बाद पहली बार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बैंकिंग जगत का वित्तीय प्रदर्शन भी सुधरा और तीन वर्ष के अंतराल के बाद सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में शुद्ध मुनाफा कमाया।

परंतु सरकारी बैंकों के लिए अभी भी चिंतित होने की पर्याप्त वजह है। न केवल फंसे हुए कर्ज (एनपीए) का ज्यादा हिस्सा उनके पास है बल्कि वे निजी बैंकों के हाथों तेजी से कारोबार भी गंवा रहे हैं। उदाहरण के लिए समीक्षा अवधि के दौरान सावधि जमा में हुई वृद्धि में निजी बैंकों की हिस्सेदारी करीब 77 प्रतिशत रही। निजी बैंकों में इसका स्तर 2011-15 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2016-19 में 81 फीसदी हो गया। बैंकिंग परिसंपत्तियों में एक तिहाई से भी कम भागीदारी के बावजूद निजी बैंक वर्ष 2018-19 में ऋण में हुई वृद्धि में से 69 फीसदी के हिस्सेदार रहे। कुल बकाये में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस बदलाव की वजह समझना कठिन नहीं है। निजी क्षेत्र के बैंक अपेक्षाकृत किफायती हैं और वे बेहतर सेवाओं और आकर्षक जमा दर के साथ ज्यादा राशि जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च जमा दर उनके मार्जिन पर असर नहीं डाल रही है। निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में अधिक विशुद्ध ब्याज मार्जिन रखते हैं। यहां भी दोनों में बड़ा अंतर है। वर्ष के दौरान सामने आए धोखाधड़ी के मामलों में से 90 प्रतिशत सरकारी बैंकों में हुए। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया के अभाव और प्रक्रियात्मक जोखिम से निपटने में सक्षम लोगों और तंत्र की अनुपस्थिति से ऐसा हुआ।

निजी बैंकों की बढ़ती हिस्सेदारी का सिलसिला आगे जारी रहेगा और इसकी कई वजह हैं। बढ़ा हुआ एनपीए सरकारी बैंकों के लिए बड़ी बाधा बना रहेगा और सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अनंत काल तक इन बैंकों में भारी-भरकम पूंजी निवेश करती रहे। दूसरी ओर, भले ही कुछ निजी बैंकों में समस्याएं रही हैं लेकिन वे अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। वहां शीर्ष प्रबंधन आसानी से बदल सकता है और निजी बैंक पूंजी जुटाने तथा बैलेंस शीट विस्तार के मामले में भी बेहतर स्थिति में हैं।

बहरहाल, यह बात ध्यान देने वाली है कि निजी बैंकों के पक्ष में हो रहा यह बदलाव सरकारी बैंकों के मूल्यांकन को भी कम करेगा। व्यापक स्तर पर देखें तो सरकारी बैंकों की कमियां तंत्र में ऋण की उपलब्धता को भी प्रभावित करेंगी और आर्थिक वृद्धि को बाधित करेंगी। ऐसे में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह संचालन संबंधी सुधार लागू करके सरकारी बैंकों को निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा के लायक बनाए। भारत से जुड़ी अपनी ताजा रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सरकारी बैंकों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसका यह कहना सही है कि सुधारों के अभाव में विलय से जरूरी मुद्दे हल नहीं होंगे और बड़े और कमजोर बैंक सामने आने की आशंका बढ़ जाएगी। विलय होने से मूल कारोबार से भी ध्यान हट सकता है और ऋण क्षमता प्रभावित हो सकती है। सरकार (पढ़ें करदाताओं) और सरकारी बैंकों के हाथ से समय बहुत तेजी से निकल रहा है।

(अस्वीकरण: कोटक परिवार के नियंत्रण वाली संस्थाओं की बिज़नेस स्टैंडर्ड में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है।)

अजय मोहंती

भारत के लिए बांग्लादेश की सामरिक अहमियत

हमारे पूर्वी समुद्री तट पर एक अहम देश बांग्लादेश है। भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत के हितों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बता रहे हैं **प्रेमवीर दास**

भारत और बांग्लादेश वर्ष 1971 से लंबी दूरी तय कर चुके हैं। दोनों देशों के संबंध शेख मुजीबुर्रहमान के समय में अत्यंत मधुर थे। लेकिन जिया-उर-रहमान और उनकी पत्नी बेगम जिया के कार्यकाल में संबंध खराब हुए। हालांकि अब मुजीब की बेटी शेख हसीना के शासनकाल में संबंध फिर से प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस तरह दोनों देशों के बीच संबंधों ने एक लंबी दूरी तय की है, जिनमें कई उतार-चढ़ाव आए हैं।

अब दोनों देशों के संबंध बेहतर हो रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने की हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों देशों के संबंधों में यह बेहतरी लगातार जारी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल के महीनों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित भारत की आकांक्षाओं पर कई बार जोर दे चुके हैं। बांग्लादेश इसी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, जिसे निश्चित रूप से प्रमुखता में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में हमें हाल की घटनाओं के नतीजों को देखना चाहिए, जो बांग्लादेश के दो वरिष्ठ मंत्रियों के हमारे देश की यात्रा रद्द करने का नतीजा हैं।

पिछले कई दशकों से हमारे सीमा विवाद के मुद्दों का इतिहास हर कोई जानता है और अब समुद्री सीमा के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के बारे में ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता है। दोनों देशों के बीच कई वर्षों से न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद रहा है। यह द्वीप उच्च ज्वार में पानी में डूब गया था, लेकिन पानी उतरने पर काफी स्पष्टता से दिखाई देने लगा। बांग्लादेश ने इस द्वीप पर अपना दावा किया और इससे अपनी समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किया। वहीं भारत ने कहा कि वह उसके क्षेत्र में आता है। दोनों के दावों के पीछे यह आकलन था कि न्यू मूर के आसपास समुद्र में तेल एवं गैस के भंडार हैं।

एक समय भारत ने इस द्वीप के आसपास अपने नौसैनिक और एक जहाज तैनात कर दिया था। दोनों देशों के बीच काफी कड़वाहट और कटुता जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यह मसला 2014 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिये सुलझा। इसमें भारत में न्यू मूर द्वीप और उस करीब 80 फीसदी पानी पर अपना दावा छोड़ दिया, जिसका उसने दावा किया था। इस तरह दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंधों के बीच आने वाली एक बाधा दूर हो गई, इसलिए अब दोनों देशों के बीच भू-सीमा और समुद्री सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान हो गया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे हितों के लिए बांग्लादेश महत्त्वपूर्ण क्यों है? बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में करीब 600 मील दूरी पर स्थित है, जहां चटगांव और कॉक्स बाजार जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ऐसे में बांग्लादेश हमारी पूर्व समुद्री सीमा पर एक महत्त्वपूर्ण तटीय देश है। बांग्लादेश और म्यांमार के बंदरगाह बुनियादी ढांचा विकास के रूप में चीन के साथ सुरक्षा संबंध हैं। इसमें दोनों को सैन्य एवं नौसैन्य साजोसामान की आपूर्ति भी शामिल की जानी चाहिए, जिसमें दो सबमरीन प्रमुख हैं। चीन के जंगी जहाज बहुधा चटगांव आते-जाते रहे हैं। अगर यह संबंध आगे और मजबूत होता है तो यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा।

बांग्लादेश चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव का समर्थक है। चीन लंबे और दुरुह मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते से बचने के लिए अपने युन्नान प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ना चाहता है। उसे इसके लिए बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंचने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो हमें चीन की नौसेना और जहाजों की बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीपसमूह के आसपास मौजूदगी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा सकारात्मक माहौल ने सभी संभावित नकारात्मक कारकों को पीछे धकेल दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जिससे स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाए।

नौसेना प्रमुख ने इस महीने की शुरुआत में खुलासा किया था कि चीनी अनुसंधान जहाज हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुस आए और उन्हें जाने के लिए कहना पड़ा। ऐसी घुसपैठ पहली बार नहीं हुई है। ये जहाज समुद्र के तल की संभावनाओं और सोनार स्थितियों की जांच करते हैं, जो सबमरीन के अनुकूलतम परिचालन में मददगार हैं और स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। इसके अलावा अन्य के समुद्री क्षेत्र में विदेशी जंगी जहाजों की तैनाती के लिए पहले से मंजूरी की जरूरत होती है। इसका अपवाद केवल 'इनोसेंट पैसिज' है। इनोसेंट पैसिज अंतरराष्ट्रीय कानून की शब्दावली है जिसमें अगर कोई जहाज दूसरे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो वह उस देश के क्षेत्र से गुजर सकता है।

चीनियों ने बार-बार इस जरूरत की अनदेखी की है। उन्होंने दक्षिणी चीनी सागर में अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन किया है, जहां फिलिपींस और वियतनाम जैसे छोटे देश बलपूर्वक उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमारे हित क्षेत्र में ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, जिसकी हमारी रणनीतिक एवं सुरक्षा प्राथमिकताओं में ऊंचा स्थान है।

ऐसी अनधिकृत घुसपैठ को छोड़ भी दें तो सोमालिया के समुद्री डाकुओं का खतरा बढ़ने के बाद चीन की नौसेना की मौजूदगी हिंद महासागर में 2008 के बाद तेजी से बढ़ी है। उनका बेस पाकिस्तान (ग्वादर) और जिबूती (अफ्रीका) में है। वे दोनों जगह सेना तैनात कर सकते हैं। वे तेल भरने वाले जहाज समेत चार से पांच जहाज अमूमन हिंद महासागर क्षेत्र में रखते हैं। इसके अलावा चीन सेशल्स जैसे द्वीपीय क्षेत्रों में मौजूदगी कायम करने की कोशिश कर रहा है। उसने श्रीलंका (हंबनटोटा और कोलंबो) और म्यांमार में बंदरगाह के विकास में अहम योगदान दिया है।

इसलिए भारत के हितों के लिए बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अहम हैं। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक पैमाने पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इनमें से कई में वह भारत से भी आगे है। दोनों देशों के बीच असहमति के क्षेत्र भी बहुत कम हैं।

इसी पृष्ठभूमि में हमें हाल के घटनाक्रम को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को हिंदू अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाला कहने से बांग्लादेश में अच्छा संदेश नहीं गया है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने अपना मौजूदा रुख ही दोहराया है। अच्छी बात यह है कि शेख हसीना ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की। यह बताता है कि वह भारत के साथ संबंधों को कितनी अहमियत देती हैं। हालांकि बड़े मंत्रियों के दौरों को रद्द कर वांछित 'संदेश' दे दिया गया।

उम्मीद है कि इनसे बयानबाजी को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित और भारत के लिए महत्त्वपूर्ण दर्जनों देशों में बांग्लादेश को सबसे शीर्ष पर रखा जाना चाहिए। भारत के नजदीकी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 'दोस्त' कहलाने लायक है। अगर इस दर्जे में बदलाव हुआ तो यह हमारे हितों के लिए मददगार नहीं होगा।

(लेखक पूर्वी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।)

निकाय अफसरों और पार्षदों पर कितना चलेगा अदालत का डंडा

अदालती आईना

एम जे एंटनी

बड़ा सवाल यह है कि क्या नियामकों में इतना साहस होगा कि वे शहरों के नामियों-गिरामियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोग चला सकें

देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पानी की आपूर्ति या सीवरेज प्रवाह की संतोषजनक व्यवस्था हो। नगरपालिकाओं के अधिकारी आमतौर पर आम नागरिकों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील होते हैं और कभी कोई आवश्यक कदम उठाने में शीघ्रता नहीं दिखाते। यहां तक कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और पर्यावरण संबंधी कानून इसलिए नहीं लागू किए जाते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में कहीं न कहीं स्थानीय बाहुबली शामिल होते हैं और कानूनी प्रक्रिया का क्या नतीजा निकलेगा, यह तय नहीं होता। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नगरपालिका पार्षदों और नगर निगमों के प्रमुख अधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्णय कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बेंगलूरु तथा अन्य नगरपालिकाओं के सात आयुक्तों (जो अलग-अलग समय पर पद स्थापित रहे) के बीच 14 वर्ष से चली आ रही कानूनी लड़ाई में दिया गया। यह मामला था कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बी हीरा नाइक के बीच का।

यह निर्णय भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कंपनी शब्द की व्याख्या की गई है और इसके दायरे का विस्तार करते हुए वैधानिक संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि नगर निगम के सरकारी विभाग होने की दलील दी जाती है लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यह एक कॉर्पोरेट संस्थान है। चूंकि धारा 47 के तहत सभी निगम संस्थान कंपनी की परिभाषा के अधीन आते हैं इसलिए नगर परिषद भी इस दायरे में शामिल हैं। ऐसे में हर उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है जो अपराध घटित होते वक्त प्रभारी रहा हो और कंपनी के कारोबारी आचरण के लिए जिम्मेदार रहा हो। सजा से बचने के लिए उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुआ या उसने अपनी तरफ से उचित सतर्कता बरती थी। जाहिर है जो पद पर रहे हों उनके लिए इसे साबित करने का बड़ा बोझ था। नगर पार्षदों की बात करें तो अब उनकी जवाबदेही कंपनी अधिनियम तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के तहत निदेशकों की जवाबदेही से अधिक है।

उच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों पर अभियोग समाप्त करते हुए कहा कि वे विभागों के प्रमुख थे, न कि किसी कंपनी के कार्याधिकारी। ऐसे में अभियोजन को सरकार की मंजूरी भी आवश्यक थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय गलत था और इन पर कार्रवाई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। बोर्ड ने आरोपित आयुक्तों को उपचारित सीवेज छोड़ने की मंजूरी प्रदान की थी जबकि यह 2006 में समाप्त हो चुका था और जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। वे निरंतर इस अनुपचारित सीवेज अवशिष्ट को तालाबों, झीलों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलने दे रहे थे। इस निर्णय के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह अधिकार मिला है कि वे जल एवं वायु संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियोग चला सकें। कानून में अपराधों की सूची का ब्योरा भी पेश किया गया है। संक्षेप में कहें तो किसी व्यक्ति को जानते-बूझते कोई विषाक्त या प्रदूषक तत्त्व किसी जल धारा, कुएं, सीवर या जमीन में नहीं मिलने देना चाहिए। जो भी इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे अधिकतम छह वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

हाल के दिनों में अदालत पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कड़े आदेश सुनाती रही है। दो सप्ताह पहले दिए एक आदेश में उसने दिल्ली के निकट नोएडा के प्राधिकारियों को आदेश दिया कि एक गांव की जल धाराओं का पुनरुद्धार करें, उनका रखरखाव करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय के इस मामले में परंपरागत जल स्रोतों को औद्योगिक इकाइयों के फायदे के लिए पाटा जा रहा था।

इससे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था। आम लोगों ने पहले भी जनहित याचिकाएं लगाई हैं। इनमें सबसे पहला है सन 1980 का रतलाम नगर निगम मामले का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम को एक स्थान की साफ-सफाई कराने का आदेश देते हुए कहा था कि बजट की बाधा किसी नगर निगम द्वारा सफाई जैसे बुनियादी काम की अनदेखी करने का बहाना नहीं हो सकती। उक्त फैसला पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन रतलाम की यात्रा करने पर पता चल जाता है कि उस फैसले का जमीनी अमल न के बराबर हो रहा है। उसके बाद आया एम सी मेहता का मामला जिसमें अदालत अभी भी आदेश जारी कर रही है। सन 1996 में एमआईटी से स्नातक करने वाली पहली महिला इंजीनियर अल्मित्रा पटेल ठोस कचरे को लेकर अदालत गईं। साल दर साल आए अदालती आदेशों के बावजूद हालात और खराब ही हुए हैं। हाल में सरकार ने इस विषय पर 850 पृष्ठों का एक शपथ-पत्र दिया है। न्यायाधीशों ने कहा कि कागजों का यह बंडल अपने आप में ठोस कचरा है।

अब तक प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सबसे प्रमुख कारक सामाजिक कदम और क्षतिपूर्ति के होते थे। कर्नाटक का फैसला प्रदूषण बोर्डों को यह अधिकार देता है कि वे नगर निकायों के अधिकारियों के खिलाफ कदम उठा सकें। जनहित याचिकाओं में दिए जाने वाले निर्णयों की तुलना में आपराधिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी साबित होगी। बहरहाल, बड़ा सवाल यह है कि क्या नियामकों में इतना साहस होगा कि वे शहरों के नामियों-गिरामियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोग चला सकें।

कानाफूसी

गोवंश सुधार

मध्य प्रदेश के गोपालकों के पास अब अवसर है कि वे अपनी गायों के लिए बेहतर साथी तलाश कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 200 से अधिक उन्नत नस्ल के सांडों का डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस में उनके बारे में सूचनाओं को अलग-अलग खाकों में बांटा गया है। इनमें पहली जानकारी उनकी नस्ल को लेकर है। दूसरी श्रेणी में उस नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा दूध में वसा की मात्रा है और तीसरी जानकारी बीमारियों के बारे में है। विभाग का कहना है कि इस डायरेक्टरी को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा और इसे इंटरनेट पर भी डाला जाएगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

नए वर्ष का तोहफा

महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। प्रदेश की नई सरकार ने न केवल क्रिसमस के अवसर पर होटलों को सुबह पांच बजे तक खुला रखने की इजाजत दी बल्कि नए वर्ष पर भी होटलों को इसी तरह खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वादा किया है कि आने वाले दिनों में होटलों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत होगी और यह मुंबई को वैश्विक शहर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा।

आपका पक्ष

सोशल मीडिया का सदुपयोग जरूरी

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। आज सोशल मीडिया के बढ़ते चलन से हर कोई अपनी बात रखने लगा है। लोकिन सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग बढ़ने के साथ-साथ इसका नकारात्मक उपयोग बढ़ने से यह सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इससे निपटना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कई रूपों में किया जा रहा है। इसके जरिये सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा राजनीतिक हित के लिए गलत जानकारियां और भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच के बजाय समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी जोखिम रिपोर्ट में बताया है कि

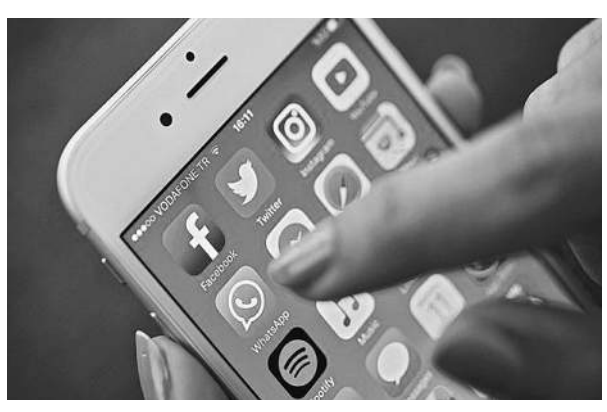

सोशल मीडिया के ज़रिये झूठी सूचना का प्रसार उभरते जोखिमों में से एक है। लेकिन सवाल है कि एक प्रगतिशील समाज और देश के लिए यह कितना उचित है कि वह आए दिन गलत सूचनाओं को बनाए और साझा करे? सोशल मीडिया की वजह से फैल रही नफरत से देश संघर्ष कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि भारत में सोशल

सोशल मीडिया में अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कानून बनने चाहिए

मीडिया के जरिये कई सकारात्मक कार्यों को भी अंजाम दिया गया है। वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और निर्भया कांड के बाद एक सफल आंदोलन इसका सकारात्मक उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में इसके गलत इस्तेमाल से सोशल मीडिया की विश्वनीयता कम होने लगी है। सोशल मीडिया का आज इतना दुरुपयोग होने लगा है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। गलत विचारों को साझा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में इसके खिलाफ कड़े कानून की सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकार को मौलिक अधिकार के हनन से बचाव करते हुए कोई ठोस कानून बनाने की पहल करनी होगी। आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे देशहित को प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर दुनिया के समक्ष भारत की बेहतर तस्वीर पेश करें। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसे नफरत करने वाला देश बनने न दें।

अनु मिश्र, सीवान

सहकारी बैंकों में नए प्रबंधन की दरकार

सहकारी बैंकों की सहकारिता पर एक अध्ययन में यह पाया गया कि बैंकों के सहकारी चरित्र में गिरावट आ रही है। इन बैंकों की एजीएम में कम उपस्थिति, नए सदस्यों को स्वीकार करने में कई तरह की रोक टोक वाले दस्तूर, नए प्रबंधन के चुनावों में कम वोटिंग होना, एक ही प्रबंधन या परिवार के फिर से चुन लिए जाने, सर्वसम्मति से चुनाव न होना और एजीएम में सार्थक चर्चा के अभाव से इसके साफ संकेत मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शहरी सहकारी बैंकों के संचालन में भारत क्यों एक प्रभावी तंत्र बनाने में विफल रहा है, जबकि समस्या अच्छी तरह से समझ लिए गए हैं। इसकी वजह सहकारी संगठनों की राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। लिहाजा सहकारी बैंकों में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम है।

आरुषि गुप्ता, फरीदाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।